

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14012/01/2014-अ.भा.से.।।।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 9 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2011 के ओडिशा संवर्ग के सदस्य श्री के. सुदर्शन चक्रवर्ति को दिनांक 29.08.2013 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।


(ज्योत्स्ना गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

रिंग रोड, मायापुरी (नई दिल्ली)।